न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता

बईजलास श्री के.आर. चौहान, आ.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 81/2018

वादीगण :–

1. उम्मेदराम पुत्र श्री शंकरराम
2. मिसाराम पुत्र श्री शंकरराम

जातियान जाट(खंदोलिया), निवासीगण डांगावास

तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हरजीराम पुत्र श्री शंकरराम(फौत) के कायम मुकाम

1/1. रामप्रसाद पुत्र श्री हरजीराम

2. शिवकरण पुत्र श्री शंकरराम
3. रामदेव पुत्र श्री शंकरराम

जातियान जाट(खंदोलिया), निवासीगण डांगावास

तहसील मेड़ता, जिला नागौर।

4. तहसीलदार, मेड़ता।
5. पटवारी हल्का डांगावास
6. उपपंजीयन अधिकारी, मेड़ता।

दावा बाबत बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 आर.टी. एक्ट

निर्णय दिनांक :– 26/02/19

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वकील वादी श्री रामकिशोर भंवरिया ने दावा बाबत बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्ती व घोषणा खातेदारी का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की ग्राम डांगावास की सरहद में संयुक्त खातेदारी की आराजी खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

नम्बर 218 रकबा 3.21 हैक्टेयर किस्म बा–1, खसरा नम्बर 345 रकबा 2.49 हैक्टेयर किस्म बा–1, खसरा नम्बर 2495 रकबा 1.51 हैक्टेयर किस्म चा–सो. व बा–2, खसरा नम्बर 2496 रकबा 1.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2497 रकबा 1.51 हैक्टेयर किस्म चा.सो. व बा–2, खसरा नम्बर 2498 रकबा 1.52 हैक्टेयर किस्म चा.सो.,बा–2, खसरा नम्बर 2499 रकबा 1.51 हैक्टेयर किस्म चा.सो., बा–2 एवं खसरा नम्बर 2500 रकबा 1.51 हैक्टेयर किस्म चा.सो. व बा–2 आयी हुई है। जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को उनके पिता शंकरराम जी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई होने से पुश्तैनी जमीन है व खसरा नम्बर 298 रकबा 1.84 हैक्टेयर किस्म बा–1 की जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त परिवार की आय से अर्जित सम्पति खरीद की हुई है, जो प्रतिवादी संख्या 1 परिवार में बड़ा भाई होने की वजह से वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने प्रतिवादी संख्या 1 के नाम रजिस्ट्री बैचाननामा करवाया था, जिससे यह आराजी भी पुश्तैनी है। उपरोक्त आराजीयान में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खेत खसरा नम्बर 218 रकबा 3.21 हैक्टेयर में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 1 के दिल में बदनियति आ गई है, प्रतिवादी संख्या 1 का खेत खसरा नम्बर 218 में कोई हक व हिस्सा नही है, क्योंकि उसके बंट में खसरा नम्बर 298 रकबा 1.84 हैक्टेयर रखा हुआ है, जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 काश्त व काबिज है तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादीगण के खेत खसरा नम्बर 218 में 2/4 हक व हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबा 3.21 हैक्टेयर में से 1/2 हिस्सा जो मेड़ता की तरफ दक्षिणी पूर्वी हिस्सा आया हुआ है। जिस पर काश्त करने में दखल व दस्तअंदाजी पैदा कर रहे है। जिससे वादीगण को मजबूर होकर उक्त वाद पेश करना लाजमी हुआ, सो वाद पेश है। यहां पर इस बात का खुलासा किया जाना भी उपरोक्त खसरान में से विवाद केवल मात्र

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

खसरा नम्बर 218 रकबा 3.21 हैक्टेयर का ही है। सो उक्त खसरा नम्बर 218 का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा करवाने हेतु वादीगण यह वाद पेश कर रहे है। खसरा नम्बर 218 रकबा 3.21 हैक्टेयर में से 1/2 दक्षिणी–पूर्वी हिस्सा वादीगण के बंट का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स घोषित किया जावें व 1/2 उत्तरी–पूर्वी हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के बंट का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस घोषित किया जावें व उक्त खसरा की खातेदारी में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किया जावें। जिस हेतु यह वाद बंटवाड़ा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश करना लाजमी होने से वाद पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 झगड़ालू किस्म के राजनैतिक संरक्षण प्राप्त व्यक्ति है, हर दम लड़ाई–झगड़ा करने पर उतारू रहते है वादीगण के पिताजी के जीवणकाल में ही उक्त खेत खसरान का वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के बीच में बंटवाड़ा 1/2–1/2 हक हिस्से का बंटवाड़ा किया हुआ था, उसके बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 लाठी के जोर पर वादीगण के बंट में आयी खातेदारी की जमीन से काश्त करने से रोकते है, काश्त करने नही देते है व जबरदस्ती लाठी के जोर पर अकेले ही उपरोक्त खेत खसरान पर काश्त कर रहे है, जिससे वादीगण अपने हक व अधिकारों से महरूम हो रहे है, वादीगण के हक व अधिकारों पर भारी कुठाराघात हो रहा है, वादीगण शांतिप्रिय, सरल स्वभाव के मजदूरी पेशा व्यक्ति है। जिससे वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त गैरकानूनी हरकत से रोकने के लिये भाई–बंधु, कुटुम्ब के सदस्य व समाज के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाईश करने का प्रयास किया। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने वादीगण को एलानिया धमकी दी कि हम किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर खेत खसरा नम्बर 218 में कोई हक, हिस्सा, बंट नही देगें व वादीगण ने खेत में पांव रखा तो खेत में जिंदा गाड़ देगें, जिससे मौके पर लड़ाई–झगड़ा, खुन–खराबा

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

होने की पूरी–पूरी संभावना है। जिससे वादीगण को यह वाद बंटवाड़ा, रेकर्ड दुरूस्त व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी होने से वाद पेश है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अपने हक व हिस्से से ज्यादा का उक्त खसरा नम्बर 218 में से बैचान करने की एलानियां धमकीयां दे रहे है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है। जिससे प्रतिवादीगण को जब तक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा नही हो जाता तब तक उक्त खेत खसरा नम्बर 218 का बैचान, बख्सीस, रहन, हस्तान्तरण आदि करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण द्वारा बिना विधिवत बंटवाड़ा किये उपरोक्त विवादित खसरान को अन्य किसी को बैचान, बख्सीस व रहन रखने पर उतारू है तथा वादीगण की खातेदारी जमीन पर जबरन काश्त व कब्जा करने पर उतारू है तथा वादीगण के हिस्से की जमीन पर वादीगण की अनुपस्थित का फायदा उठाते हुए फसल बोने पर उतारू है व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर उतारू है। प्रतिवादीगण अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो वादीगण अपने हक व अधिकारों से महरूम हो जायेगे तथा प्रतिवादीगण द्वारा बिना बंटी हुई जमीन का बैचान करने पर खरीददार वादी को उपरोक्त जमीन से बेदखल करेगा, वादी अपनी जमीन से बेदखल होगा नही, जिससे मौके पर लड़ाई–झगड़ा, खुन खराबा होगा, जिससे मुकदमा बाजी बढेगी, कानूनी पेचिदगिया बढ जायेगी, अदालतों का कीमती समय व पक्षकारान का धन व्यर्थ में बर्बाद होगा, जिससे वादीगण को प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना लाजमी हुआ, सो वाद पेश है। अतः अर्जीदावा के पैरा संख्या 10 अनुसार दावा डिक्री फरमाया जावें।

2. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में मौजा डांगावास की जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074, खाता संख्या 1074, 1046, 1047 नक्शा ट्रेस की प्रतियां पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

3. दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री मधुसुधन जोशी ने वकालतनामा पेश किया व जवाबदावा एवं काउण्टर क्लेम पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री रामरतन डिडेल ने वकालतनामा एवं जवाबदावा पेश किया तथा राजीनामा का इकरारनामा 07.06.2018 तथा शपथपत्र हरजीराम व रामप्रसाद का पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 1 फौत होने से उसके कायम मुकाम रामप्रसाद को रेकर्ड पर लिया गया तथा उसका वकालतनामा वकील श्री रामरतन डिडेल ने पेश किया। वादीगण की ओर से वकील श्री अब्दुल सलीम अंसारी ने वकालतनामा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 4 से 6 बाजवूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से दिनांक 30.04.2018 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई।

4. विद्वान वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई जिसमें उनका मुख्य तर्क यह है कि प्रश्तगत भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है। जिसका पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। अतः माफिक राजीनामा दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

आदेश

6.(क) **वादी उम्मेदराम के बंट में :–** राजीनामा नजरी नक्शा परिशिष्ट 'क' में खेत खसरा नम्बर 218 तिकुनिया में बताया गया हिस्सा रकबा 0.144 हैक्टेयर, परिशिष्ट 'ख' नजरी नक्शा में बताया गया खेत खसरा नम्बर 345 कुमारिया खेत में परिशिष्ट 'ख' में बताये अनुसार

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (राज.)

Scanned by CamScanner

हिस्सा रकबा 1.245 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2498 में से रकबा 0.892 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 2497 में से रकबा 0.888 हैक्टेयर बंट व खातेदारी में रहेगा।

(ख) **वादी मिसाराम के बंट में :–** मौजा ग्राम डांगावास की राजस्व सीमा में स्थित खेत खसरा नम्बर 218 तिकुनिया खेत में राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' नजरी नक्शा में बताया गया हिस्सा रकबा 0.144 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 345 कुमारिया खेत में परिशिष्ट 'ख' में बताया गया रकबा 1.245 हैक्टेयर खेत बंट में और कब्जे में रहेगा तथा परिशिष्ट 'घ' में बताये अनुसार खसरा नम्बर 2499 में 1.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2498 में रकबा 0.60 हैक्टेयर भूमि वादी के बंट व खातेदारी में रहेगी।

(ग) **प्रतिवादी हरजीराम के पुत्र रामप्रसाद के बंट में :–** राजीनामा के संलग्न परिशिष्ट 'ग' नजरी नक्शा में बताये गये खेत खसरा नम्बर 298 टुकड़िया खेत रकबा 1.84 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 2496 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2495 में रकबा 1.48 हैक्टेयर परिशिष्ट–घ में बताये अनुसार बंट व खातेदारी में रहेगा।

(घ) **प्रतिवादी रामदेव के बंट में :–** राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' नजरी नक्शा में बताये खेत खसरा नम्बर 218 तिकुनिया खेत में रकबा 1.461 हैक्टेयर तथा परिशिष्ट 'घ' में बताये अनुसार खेत खसरा नम्बर 2497 में रकबा 0.597 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2496 में रकबा 1.183 हैक्टेयर बंट व खातेदारी में रहेगा।

(ङ) **प्रतिवादी शिवकरण के बंट में :–** राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'क' नजरी नक्शा में बताये खेत खसरा नम्बर 218 तिकुनिया खेत में रकबा 1.461 हैक्टेयर तथा परिशिष्ट 'ग' में बताये अनुसार खेत खसरा नम्बर 2500 में रकबा 1.48 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2499 में रकबा 0.30 हैक्टेयर बंट व खातेदारी में रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
मेड़ता (राज.)

Scanned by CamScanner

(च) **वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती के बंट में :–** परिशिष्ट 'क' नजरी नक्शा में बताये खेत खसरा नम्बर 2495 में से रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2496 रकबा 0.027 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2497 रकबा 0.025 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2498 रकबा 0.028 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2499 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2500 रकबा 0.03 हैक्टेयर कुल रकबा 0.17 हैक्टेयर शामलाती रास्ता राजीनामा के साथ संलग्न परिशिष्ट 'घ' नक्शा में बताये अनुसार 15 फुट चौड़ा शामलाती रास्ता वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती बंट व खातेदारी में रहेगा।

7. डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार मेड़ता यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो, अन्यथा आदेश नही हो, विधिक बाधा नही हो तथा भूमि रहन नही हो तो नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद जाब्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/08/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

के.आर. चौहान
उपखण्ड अधिकारी,
मेड़ता

Scanned by CamScanner